जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442452 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5702

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **माँ शांती देवी महाविद्यालय, ग्राम-कुतघाना, सबलगढ़ को सत्र 2011-12** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.ए., (आ.पा हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटर, गृहविज्ञान) बी.एस-सी., (आ.पा. वनस्पति, विज्ञान, जन्तुविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकीशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी) बी.एच. एस-सी., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.सी.ए. पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय वर्ष 2007 से चल रहा है। अभी तक परिनियम 28 के अन्तर्गत नियुक्तियां नहीं की गई हैं। अतः महाविद्यालय सभी पाठ्यक्रमों के लिए नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्तियां एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां आवश्यक रूप से कर ले यदि उपरोक्त नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो सत्र 2012-13 की सम्बद्धता प्रदान न की जावे।
2. पर्याप्त फर्नीचर क्रय किया जावे।
3. तीन क्लास रूम तैयार कराये जावें।
4. 25,000/- मूल्य की नवीन संस्करण की पुस्तकें क्रय की जावें।
5. कम्प्यूटर लैब के लिए 05 नवीन पी.सी. क्रय की जावे।
6. बी.एच.एस-सी. पाठ्यक्रम को बन्द कर दिया जावे।
7. पी.जी.डी.सी.ए. का उच्च शिक्षा विभाग का पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।
8. महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावे। (परिनियम 28 के अन्तर्गत नियुक्तियां होने पर)
9. परिनियम 27 एवं 28 का पालन सुनिश्चित किया जावे।
10. प्रयोगशाला के लिए बड़े कक्षों की व्यवस्था की जाय तथा और उपकरण क्रय किए जावें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **माँ शांती देवी महाविद्यालय, ग्राम-कुतघाना, सबलगढ़**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

DEDC : C:\Users\Administrator\Desktop\Adhisoochnan.doc